



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 22 जनवरी, 2021
माघ 2, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गोपन अनुभाग-5

संख्या 85/1/89-सी०एक्स०-5
लखनऊ, 22 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-20

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दि प्रिवेन्शन ऑफ इल्लिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेन्सेज एक्ट, 1988 (एक्ट संख्या 46 सन् 1988) की धारा 9 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या 85/1/89-सी०एक्स०-5, दिनांक 23 अगस्त, 2020 को अवक्रमित करते हुए राज्यपाल महोदय, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नवत् होंगे :-

1.	मा० न्यायमूर्ति श्री राकेश श्रीवास्तव, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।	अध्यक्ष
2.	मा० न्यायमूर्ति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।	सदस्य
3.	मा० न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव-द्वितीय, न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।	सदस्य

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 85/1/89-CX-5, dated January 22, 2021:

No. 85/1/89-CX-5

Dated Lucknow, January 22, 2021

IN exercise of the powers under clause (a) of section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (Act no. 46 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no. 85/1/89-CX-5, dated August 23, 2020, the Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to reconstitute, for the purposes of the said Act, an Advisory Board consisting of the following persons to be the Chairman and Members there of :-

1.	Hon'ble Mr. Justice Mr. Rakesh Srivastava, Judge, High Court of Judicature at Allahabad.	Chairman
2.	Hon'ble Justice Mr. Shrikant Tripathi, Judge, High Court Allahabad.	Member
3.	Hon'ble Justice Mr Brijesh Kumar Srivastav-II, Judge, High Court Allahabad.	Member

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Additional Chief Sachiv.